मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2015 ज्येष्ठ 15, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री की 10वीं की मार्कशीट में मेरा नाम त्रुटिवश रूचिका पिता हेमन्त प्रजापति था. जिसे त्रुटि सुधार कर अब रूचिका पिता हेमेन्द्र प्रजापति कर दिया है. अत: अब उसे रूचिका पिता हेमेन्द्र प्रजापति के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाये.

पुराना नाम :

(हेमन्त प्रजापति)

नया नाम :

(हेमेन्द्र प्रजापति)

202, इन्दिरा नगर, रतलाम.

(104-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे 10वीं के अंकसूची में मेरा नाम अभिषेक अंकित है और सभी दस्तावेजों में अभिषेक चौहान है. अत: भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(अभिषेक)

नया नाम :

(अभिषेक चौहान)

पता-बी. एस. एफ. आई. आर. आर.

क्वार्टर नं. 24, टी. सी. पी. टेकनपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(105-बी.)

नाम परिवर्तन

''सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दिनेश कुमारी था जो अब परिवर्तित होकर दिनिशा भारद्वाज सिंह पति श्री बी. के. सिंह हो गया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.''

पुराना नाम :

(दिनेश कुमारी)

नया नाम :

(दिनिशा भारद्वाज सिंह)

टी. ओ. क्यू. 1/ए, आफीसर एन्क्लेव,

सी. एस. डब्ल्यू. टी. बी. एस. एफ. हेड क्वार्टर,

बीजासन रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(107-बी.)

नाम परिवर्तन

समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि मैं अमित कुमार मांझी पिता श्री मोहन लाल केवट, निवासी-म. नं. 52, वार्ड नं. 20, ईदगाह, सिन्धी धर्मशाला के पास, जिला शहडोल मध्यप्रदेश का निवासी हूँ, यह कि मेरा शैक्षणिक, शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दो प्रकार से अमित कुमार मांझी व अमित कुमार मांझी केवट दर्ज है उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं, जिसे लेकर भविष्य में कोई वाद-विवाद न उत्पन्न हो इस कारण से अब मैंने अपना नाम अमित कुमार केवट के रूप में परिवर्तन कर लिया है. अत: मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में और व्यवहार में अमित कुमार केवट के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(अमित कुमार मांझी/अमित कुमार मांझी केवट)

नया नाम :

(अमित कुमार केवट)
पिता-श्री मोहन लाल केवट,
निवासी-म. नं. 52, वार्ड नं. 20, ईदगाह,
सिन्धी धर्मशाला के पास, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

(106-बी.)

नाम परिवर्तन

समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि मैं सुमित कुमार मांझी पिता श्री मोहन लाल केवट, निवासी-म. नं. 52, वार्ड नं. 20, ईदगाह, सिन्धी धर्मशाला के पास, जिला शहडोल मध्यप्रदेश का निवासी हूँ, यह कि मेरा शैक्षणिक, शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दो प्रकार से सुमित कुमार मांझी व सुमित कुमार मांझी केवट दर्ज है उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं, जिसे लेकर भविष्य में कोई वाद-विवाद न उत्पन्न हो इस कारण से अब मैंने अपना नाम सुमित कुमार केवट के रूप में परिवर्तन कर लिया है. अत: मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में और व्यवहार में सुमित कुमार केवट के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(सुमित कुमार मांझी/सुमित कुमार मांझी केवट)

नया नाम :

(सुमित कुमार केवट)
पिता-श्री मोहन लाल केवट,
निवासी-म. नं. 52, वार्ड नं. 20, ईदगाह,
सिन्धी धर्मशाला के पास, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

(108-बी.)

CHANGE OF NAME

I, MRIDULA GUPTE, here by Declare that after marriage I have change my name as MRUDUL PRADHAN W/o Dr. VIJAY PRADHAN So, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :

(MRIDULA GUPTE)

New Name :

(MRUDUL PRADHAN)
W/o Dr. Vijay Pradhan
Add—Shubhankar 71-C, Tulsi Nagar
Opp. Bombay Hospital,
Indore 452010 (M.P.).

(113-B.)

CHANGE OF NAME

I, ARUNA KUMARI LALWANI, changed my name to after marriage GARIMA BHAWNANI and now, I would be known as GARIMA BHAWNANI.

Old Name :

(ARUNA KUMARI LALWANI)

New Name :

(GARIMA BHAWNANI)
Add—64, Triveni Colony,
Main, Indore (M.P.).

(114-B.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मोइन अल हक उर्फ बाबर (MOIN UL HAQUE ALIAS BABAR) था. जो बदलकर मोइन अल हक (MOIN UL HAQ) हो गया है. अब मुझे मेरे नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(मोइन अल हक उर्फ बाबर)
(MOIN UL HAQUE ALIAS BABAR)

नया नाम :

(मोइन अल हक)
(MOIN UL HAQ)
H. No.-398, B—Sector, Airport Road,
Bhopal (M.P.).

(116-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. सालासर बालाजी रीयल इन्फ्रा, 19-A , बलवन्त नगर, ग्वालियर (म.प्र.) पार्टनरशिप फर्म के रूप में दिनांक 05-04-2012 बनी थी. अत: प्रथम संशोधन पार्टनरशिप फर्म में दिनांक 31-05-2012 को किया गया था. जिसमें श्रीमति सीमा भदौरिया पत्नी श्री डी. वी. एस. भदौरिया, M-21, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर को निकाल पार्टनरशिप फर्म में मै. शिवदेव डवलपर्स द्वारा श्रीमति सीमा भदौरिया, M-21-दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर को सामिल किया गया जिसकी सूचना पीपुल्स समाचार में दिनांक 23-06-2012 को प्रकाशित है. उक्त पार्टनरशिप फर्म में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाह, M-52, गांधी नगर, ग्वालियर, श्री राजेश सिंह पुत्र स्व. श्री राम क्रपाल सिंह, D-13, विवेक विहार जय विलास परिसर, ग्वालियर, श्रीमति शोभना शर्मा सुपुत्री श्री रघुवर दयाल बरूआ, 19-A,बलवन्त नगर ग्वालियर, श्रीमति सुनीता शर्मा सुपुत्री श्री जे.डी. त्यागी, 16 नेहरू कॉलोनी, ग्वालियर मै. शिवदेव डवलपर्स, द्वारा श्रीमति सीमा भदौरिया, M-21, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर पार्टनर्स थे. पार्टनरशिप फर्म में द्वितीय संशोधन दिनांक 16-03-2015 को किया गया है जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णित पार्टनर्स में से श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह एवं श्री राजेश सिंह को निकाल दिया है. अत: 16-03-2015 नये पार्टनर मै. कृष्णा बिल्डकोन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाह, M-52, गांधी नगर, ग्वालियर, श्री वैभव शर्मा पुत्र स्व. श्री वी. डी. शर्मा, 9, नेहरू कॉलोनी थाटीपुर, ग्वालियर, श्री वीर सिंह पुत्र श्री कालीचरन, ग्राम गंगा मालनपुर, ए. बी. रोड, ग्वालियर एवं श्री लाल सिंह यादव पुत्र श्री ग्यान सिंह यादव थाटीपुर गाँधी रोड, मुरार ग्वालियर को पार्टनरशिप फर्म में लिया गया है. सूचनार्थ प्रकाशित.

PUNIT KUMAR KOHLI,
(Advocate)
Chitnis Ki Goth, Gwalior.

(109-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय मारूति ग्रिड उद्योग, डी-37, विनय नगर, सेक्टर-3, ग्वालियर में दिनांक 26 फरवरी, 2015 से भागीदार क्रमश: (1) हरीओम राजपूत पुत्र श्री राम नाथ सिंह राजपूत, निवासी मोहल्ला बंडापुर, घासमंडी, किला गेट, ग्वालियर, (2) श्री राकेश यादव पुत्र श्री गोपी सिंह यादव, निवासी उरवाई गेट, आर. जी. व्ही. टी. कॉलेज के पीछे, शब्द प्रताप आश्रम, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा इसी दिनांक 26-02-2015 से नवीन साझेदार के रूप में (1) श्री राहुल सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री रामअवतार सिंह राजपूत, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्री मनीष यादव पुत्र श्री भुजवल सिंह यादव, निवासी नवगृह कॉलोनी, सेक्टर नं. 2, गोल पहाड़िया, लश्कर, ग्वालियर, (3) श्री विनोद यादव पुत्र श्री महेश सिंह यादव, निवासी न्यू बस स्टेण्ड, भितरवार, जिला ग्वालियर फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—जय मारूति ग्रिड उद्योग
मुकेश यादव
नवगृह कॉलोनी, सेक्टर नं. 2, गोल पहाड़िया,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—**हेमन्त सिरसट** (कर सलाहकार)
सौगानी एण्ड कम्पनी, लोहिया बाजार,
लश्कर, ग्वालियर.

(110-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. लक्ष्मणदास एण्ड संस हरपालपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) जो कि दिनांक 20-03-2014

को गठित होकर पंजीयत हुई. जिसमें श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती इन्द्रा देवी अग्रवाल भागीदार थे और दिनांक 16-10-2014 तक चली इसके पश्चात् दिनांक 17-10-2014 से लेकर आज दिनांक तक नई संशोधित फर्म में निम्नलिखित श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री अनूप कुमार अग्रवाल, श्री अरूण कुमार अग्रवाल, श्री अमित कुमार अग्रवाल भागीदार हैं. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. लक्ष्मणदास एण्ड संस हरपालपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) जो कि दिनांक 17-10-2014 को संशोधित होकर जिसमें श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री अनूप कुमार अग्रवाल, श्री अरूण कुमार अग्रवाल, श्री अमित कुमार अग्रवाल भागीदार थे और दिनांक 03-03-2015 तक चली इसके पश्चात् दिनांक 04-03-2015 से लेकर आज दिनांक तक नई संशोधित फर्म में निम्नलिखित श्री अनूप कुमार अग्रवाल, श्री अरूण कुमार अग्रवाल, श्री अमित कुमार अग्रवाल भागीदार हैं.

सूचनाकर्ता
राकेश शर्मा,
(एडवोकेट),
छतरपुर.

(111-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स राजौरिया कन्स्ट्रक्शन, 8, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, खेड़ापति रोड, फूलबाग, ग्वालियर (म.प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में साझीदार स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा जी के दिनांक 17-08-2014 को आकस्मिक निधन होने पर उनकी पुत्र वधू श्रीमती वंदना राजौरिया पत्नी श्री संजय राजौरिया, आयु 42 वर्ष, निवासी 8, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, खेड़ापति रोड, फूलबाग ग्वालियर, (म.प्र.) को साझेदार के रूप में दिनांक 17-08-2014 को शामिल किया गया है. श्रीमती वंदना राजौरिया जी फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन अथवा अन्य कार्यों में अपने हिस्से के मुताबिक जिम्मेदारी होगी और वे फर्म के चालू रहने वाले साझीदार को स्वीकार है.

प्रार्थी
फर्म—मैसर्स राजौरिया कन्स्ट्रक्शन्स,
संजय राजौरिया,
8, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, खेड़ापति रोड, फूलबाग,
ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—मनोज कुमार जैन (एडवोकेट)
जैन भवन, प्रथम तल, संजय कॉम्पलेक्स के पीछे,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(112-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s KAMADGIRI CONSTRUCTION COMPANY, having office at Garra-Teh-Waraseoni-Distt-Balaghat, a partnership firm incorporated on 10-12-2011, having Four Partners named as (1) Shri Balkrishna Dwivedi, (2) Shri Punaram Uke, (3) Shri Pramod Rahangdale and (4) Shri Santosh Pande. That with the mutual consent of all the partners and governed by Dissolution Deed dated 29th October, 2013, the firm M/s Kamadgiri Construction Company is dissolved. This public notice is being published for the purpose of information to be given to office of registrar of Firms and Society.

वास्ते—कामदगिरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
BALKRISHNA DWIVEDI,
(Partner)

(115-B.)

जाहिर सूचना

मेसर्स हरसिद्धि ट्रेडर्स जो कि एक पंजीकृत भागीदारी फर्म है, इसमें दिनांक 01-04-2015 से श्री हरमिंदर सिंह होरा पिता श्री संतोख सिंह होरा, निवासी 45-46, आदित्य नगर, इंदौर एक नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

वास्ते—मे. हरसिद्धि ट्रेडर्स,
सुरेश शर्मा,
(भागीदार).

(117-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 08 मई, 2015

क्र./महामारी/2015/3652.—नीमच जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन संदर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें.

अतः मैं, जी. व्ही. रशिम, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला नीमच को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती हूँ तथा आदेश देती हूँ कि:—

क— अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों आदि के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये कायम की गई स्थापना में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर—

1. बॉसी मिठाईयों, सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे.
2. कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, खुले स्थान / बाजार में जालीदार ढक्कन ढ़क्कर रखे जावें. महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे.
3. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्ढों, मलकुण्ड, कूड़ा-करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जावे.
4. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे.
5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे.
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्त्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात् जल का उपयोग किया जावे.
7. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे.

ख— इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पैरा ''क'' के बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा न ही ले जावेगा.

ग— इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच-पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुएं एवं मानव उपयोग के अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है, तो उन अस्वास्थ्यकर, दूषित, अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने या नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती हूँ.—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच.
2. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला नीमच.
3. ऐसे समस्त शासकीय चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो.
4. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत समस्त.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त.
7. राजस्व निरीक्षक, समस्त तहसील, जिला नीमच.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल-संडास, संक्रमित वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निवर्तन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे.

उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जावेगा.

संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जो अन्य आर्थिक दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

जी. व्ही. रशिम,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(302)

निविदा सूचनाएं

बड़वानी , दिनांक 20 मई, 2015

क्र./अस्प.प्रशा./2015/1939.—जिला चिकित्सालय बड़वानी के विभिन्न वार्डों/विभागों से निकलने वाली राईट ऑफ सामग्री जैसेः- पलंग, गद्दे, बैडसाईड लॉकर, स्ट्रेचर, कूलर, स्टेण्ड एवं एक्स-रे मशीन के पार्ट्स आदि जहां हैं जिस स्थिति में हैं कि नीलामी दिनांक 08-06-2015 को दोपहर 12.00 की जाना है. इच्छुक निविदाकार कार्यालय समय में निविदा दिनांक से पूर्व सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं. निविदा की शर्तें नीलामी दिनांक के दो दिवस पूर्व इच्छुक निविदादाता धरोहर राशि रुपये 10000/- (दस हजार) जमा कर प्राप्त कर सकते है.

अमर सिंह विश्नार,
सिविल सर्जन,
सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला बड़वानी.

(304)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, आ. स्व. श्री वल्लभदास जी अग्रवाल, संरक्षक न्यासी भोपाल, द्वारा अजय अग्रवाल मेमोरियल धर्मार्थ एवं परमार्थ ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 15 जून, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	अजय अग्रवाल मेमोरियल धर्मार्थ एवं परमार्थ ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	अग्रवाल कॉम्पलेक्स, 11-बी, तृतीय तल, मस्जिद शकूर खां मारवाड़ी रोड, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	कुछ नहीं.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,00,000/- (रु. पाँच लाख).

सुनील राज नायर,
रजिस्ट्रार.

(303)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त संत हिरदराम नगर (बैरागढ़), जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2015

प्र.क्र.7/बी-113/बैरा.वृत/14-15/587.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम,1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, वृत संत हिरदराम नगर (बैरागढ़) जिला भोपाल.

जैसा कि श्री जगन्नाथ प्रसाद मालवीय, कोषाध्यक्ष श्री माँ राधा कृष्ण, शिव मंदिर ट्रस्ट (न्यास), निवासी 183, दाता कॉलोनी, एयर पोर्ट रोड, भोपाल संस्था का पंजीकृत कार्यालय, पता गांधी मेडिकल हाउसिंग सोसायटी दाता कॉलोनी, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 22 जून, 2015 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	. .	श्री माँ राधा कृष्ण, शिव मंदिर ट्रस्ट.
कार्यालय पता	. .	गांधी मेडिकल हाउसिंग सोसायटी दाता कॉलोनी, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.
चल सम्पत्ति	. .	संस्था की प्रारंभिक चल सम्पत्ति रुपये 2100/-.

सी. पी. निगम,
रजिस्ट्रार.

(307)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र.03/बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि '' सीताराम रूद्र हनुमान गुरूदत्त मंदिर न्यास'' द्वारा महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज पुत्र चैला महंत अवधेश दास जी महाराज, पता ग्राम थुआखेड़ा, कोलार रोड, तहसील हुजूर भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 22 जून, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : '' सीताराम रूद्र हनुमान गुरूदत्त मंदिर न्यास'' द्वारा महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज पुत्र चैला महंत अवधेश दास जी महाराज, पता—ग्राम थुआखेड़ा, कोलार रोड, तहसील हुजूर भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 2100/- रुपये मात्र.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 18 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(306)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, रघुराजनगर, जिला सतना

प्रारूप-क्र. 5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक रघुराजनगर सतना, जिला के समक्ष.

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है:-

अब इसलिये में रमेश कुमार सिंह लोक न्यासों का पंजीयक.रघुराजनगर, जिला सतना मेरे न्यायालय में 2015 के 25 जून, 2015 के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीटर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता	..	आओ बनाये दुनिया बेहतर 2-न्यू कॉलोनी, सिंधी कैम्प सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	..	5,00,000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

रमेश कुमार सिंह
अनुविभागीय अधिकारी.

(305)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/76, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं होने से सूचना-पत्र तामीली नहीं हो पाया, पंजीकृत पते पर संस्था न होना नियम विरुद्ध है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(308)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
आदिनाथ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-60/6, परदेशीपुरा, वार्ड-15, इन्दौर.

आदिनाथ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2247, दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिनाथ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-C)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
राजलक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-60/6, परदेशीपुरा, वार्ड-15, इन्दौर.

राजलक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2245, दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजलक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-D)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
गुरुकृपा ईंधन सह. संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-35, वृन्दावन कॉलोनी, वार्ड-06, इन्दौर.

गुरुकृपा ईंधन सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2259, दिनांक 02 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुरुकृपा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
नवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-01, दमोदरनगर धार रोड, वार्ड-01, इन्दौर.

नवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2262, दिनांक 06 नवम्बर, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289- F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
गीतांजली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-1374/N, नंदन नगर, इन्दौर.

गीतांजली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2276, दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गीतांजली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-G)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
शहीद भगतसिंह ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-228, राजनगर, वार्ड-02, इन्दौर.

शहीद भगतसिंह ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2263, दिनांक 06 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहीद भगतसिंह ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
माँ भारती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-13-B , रामबली नगर, वार्ड 03, इन्दौर.

माँ भारती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2267, दिनांक 15 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ भारती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
मालवीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-11/2, बाणगंगा मेनरोड, वार्ड-05, इन्दौर.

मालवीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2260, दिनांक 02 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
ओम विश्व रुपेण ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-448, गोविंद कॉलोनी, वार्ड-05, इन्दौर.

ओम विश्व रुपेण ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2196, दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ओम विश्व रुपेण ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-K)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
केशरी नंदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-256, बाणगंगा गली नं. 2, वार्ड-06, इन्दौर.

केशरी नंदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2272, दिनांक 29 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केशरी नंदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
सार्वजनिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-49, कुम्हारखाडी, वार्ड-34, इन्दौर.

सार्वजनिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2261, दिनांक 12 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सार्वजनिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-01, राजमहल कॉलोनी, वार्ड-55, इन्दौर.

महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2283, दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
माँ काली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-454/6, नेहरु नगर, इन्दौर.

माँ काली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2258, दिनांक 02 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ काली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 44/1, गोमा की फेल, वार्ड-39, इन्दौर.

क्र./परि./2015/752—महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2207, दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-P)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
जोबनेर ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-318, शाजीनाथ कैम्प, वार्ड-16, इन्दौर.

जोबनेर ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2313, दिनांक 01 मार्च, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जोबनेर ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
आयुषी ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-98, भागीरथपुरा, इन्दौर.

आयुषी ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2248, दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयुषी ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
अर्पिता ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

अर्पिता ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2246, दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अर्पिता ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
रोशनी सर्विस ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

रोशनी सर्विस ईंधन सहकारी मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2345, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रोशनी सर्विस ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
ज्वाला ईंधन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-419/6, नेहरुनगर इन्दौर.

ज्वाला ईंधन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2249, दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ज्वाला ईंधन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-U)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
राजेश्वरी ईंधन सहकारी संस्था इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-394, स्कीम नं. 71, वार्ड-52, इन्दौर.

राजेश्वरी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2208, दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजेश्वरी ईंधन सहकारी संस्था इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-V)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
रामहित ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-98, गुमास्ता नगर, वार्ड-52, इन्दौर.

रामहित ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2250, दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रामहित ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 759/12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
सोनालिखा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-26/12, मेडीकल कॉलेज, कम्पा. वार्ड इन्दौर.

सोनालिखा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2257, दिनांक 01 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सोनालिखा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 760/12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-X)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
ईशा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता—25, व्यासफका, जुनी वार्ड-44, इन्दौर.

ईशा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2201, दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ईशा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज़ दिनांक 761/12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
जनहित ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-111/1, लोधीपुरा, वार्ड-46, इन्दौर.

जनहित ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2251, दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 762/12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-Z)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
स्वदेशी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-13, महुनाका, वार्ड-48,इन्दौर.

स्वदेशी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2211, दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वदेशी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 763/12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
अरुणोदय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-20, जोशी कॉलोनी, वार्ड-50, इन्दौर.

अरुणोदय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/. . . . . , दिनांक . . . . . है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अरुणोदय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-A)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

माँ अन्नपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-83, स्वास्तिक नगर, वार्ड-15, इन्दौर.

माँ अन्नपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2312, दिनांक 26 फरवरी, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ अन्नपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-B)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

शिवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-470, स्कीम नं. 74, वार्ड-52, M.I.G. कॉलोनी, इन्दौर.

रण थम्बोर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2194, दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-C)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
जयहिन्द ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-64, अजयबाग कॉलोनी, मुसाखेडी, वार्ड-64, इन्दौर.

जयहिन्द ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2258, दिनांक 01 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयहिन्द ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-D)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
जय गणेश ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-14, इंदिरा एकता नगर, वार्ड-64, इन्दौर.

जय गणेश ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2192, दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय गणेश ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
कविता श्री ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-133, ऊषा नगर, वार्ड-59, इन्दौर.

कविता श्री ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर/2307, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कविता श्री ईंधन सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290- F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलावटन्यू.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलावटन्यू, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2485, दिनांक 02 फरवरी, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलावटन्यू, का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-G)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-मिर्जापुर, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2375, दिनांक 03 मई, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-खण्डोटिया, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2442, दिनांक 25 मार्च, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-अरनिया, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2385, दिनांक 08 अक्टूबर, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पिरपिपल्या न्यू, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2305, दिनांक 11 जनवरी, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-K)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-अमरपुरा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2506, दिनांक 18 मई, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरपुरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पिगडम्बर, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/932, दिनांक 19 जुलाई, 1990 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिगडम्बर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-सेडल, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/915, दिनांक 03 नवम्बर, 1989 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेडल, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्वालू, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./760, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालू, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-O)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पालाखेडी, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2408, दिनांक 10 जून, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालाखेडी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-P)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- धतुरिया, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2386, दिनांक 08 अक्टूबर, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-हिगोनिया खुर्द, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2392, दिनांक 12 नवम्बर, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिगोनिया खुर्द, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-रिजलाय, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2351, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिजलाय, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-श्रीराम टलावली, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2191, दिनांक 25 नवम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्रीराम टलावली, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-सोनवाय, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2397, दिनांक 04 मार्च, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-U)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-बडी कलमेर, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./714, दिनांक 16 अप्रैल, 1983 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडी कलमेर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-V)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-जम्बूरी हप्सी, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./743, दिनांक 03 सितम्बर, 1983 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जम्बूरी हप्सी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-लक्ष्मण खेडी, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2006, दिनांक 16 नवम्बर, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मण खेड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-X)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता—पानोड़, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1987, दिनांक 14 जून, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानोड़, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-रलायटा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./823, दिनांक 09 अगस्त, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलायटा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(290-Z)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-दयाखेडा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1111, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दयाखेडा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-जैतपुरा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/516, दिनांक 09 मई, 1977 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-A)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-भुडर, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/665, दिनांक 13 जून, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भुडर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-B)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-टिटावदा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/661, दिनांक 30 जुलाई, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटावदा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-C)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-बाहमण खेड़ी, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2035, दिनांक 27 मार्च, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाहमण खेड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-D)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
महाराज गंगाजल खेड़ी इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराज गंगाजल खेड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2106, दिनांक 07 फरवरी, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराज गंगाजल खेड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-मेण, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2288, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेण, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291- F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-सोलसिंदा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/509, दिनांक 09 मई, 1977 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोलसिंदा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-G)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-नागपुर, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/523, दिनांक 01 जून, 1978 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागपुर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-खलखला, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/786, दिनांक 13 सितम्बर, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खलखला, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पिपल्या कायस्थ, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/744, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कायस्थ, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-टोड़ी, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1120, दिनांक 29 नवम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-K)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-तराना, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1113, दिनांक 30 अक्टूबर, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तराना, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पेमलपुरा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2002, दिनांक 16 नवम्बर, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेमलपुरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-कनवासा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/651, दिनांक 30 जुलाई, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनवासा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-सिंहावरा, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/759, दिनांक 22 अक्टूबर, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंहावरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-O)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-खड़ीली, इन्दौर.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2391, दिनांक 24 मार्च, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खड़ीली, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-P)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पिवडाय, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/603, दिनांक 05 मई, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पिवडाय, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या., औरंगपुरा.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., औरंगपुरा, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/834, दिनांक 08 अक्टूबर, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या., औरंगपुरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, मिचोली मर्दाना.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, मिचोली मर्डाना, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./848, दिनांक 26 जून, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, मिचोली मर्दाना का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है..

(291-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कराडिया, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कराडिया, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./853, दिनांक 26 जून, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कराडिया, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या.,
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-धनखेड़ी, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., धनखेड़ी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1079, दिनांक 02 अगस्त, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या.,धनखेड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-U)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या.,
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-मकोडिया, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मकोडिया, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1164, दिनांक 03 मार्च, 1993 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मकोडिया, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-V)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था, छोटी कलमेर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

तिलहन सहकारी संस्था, छोटी कलमेर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1088, दिनांक 02 अगस्त, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था, छोटी कलमेर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या., काकरिया बोर्डिया इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., काकरिया बोर्डिया इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./833, दिनांक 01 अक्टूबर, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या., काकरिया बोर्डिया इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-X)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या.,
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता—बिरगोरा, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./882, दिनांक 01 अक्टूबर, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, बिरगोरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, टाकून,इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-टाकून, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, टाकून, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./765, दिनांक 07 अगस्त, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, टाकून, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(291-Z)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- बहोड़ा, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, बहोड़ा, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./685, दिनांक 14 अक्टूबर, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, बहोड़ा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- गोकलपुर, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./673, दिनांक 10 अक्टूबर, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, गोकलपुर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-A)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- सुमठा, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./680, दिनांक 14 अक्टूबर, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, सुमठा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-B)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- सगदौड, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./668, दिनांक 14 अक्टूबर, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, सगदौड, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-C)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- काकरिया पाल, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./590, दिनांक 11 अगस्त, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, काकरिया पाल, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-D)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- बरलाई, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./. . . . . , दिनांक. . . . . है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, बरलाई, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- डकाच्चा, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./604, दिनांक 24 जनवरी, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, डकाच्चा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292- F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, हरसोला.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- . . . . . .

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, हरसोला, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./604, दिनांक 24 जनवरी, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, हरसोला, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-G)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित,
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- कम्पेल, इन्दौर.

तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./607, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, कम्पेल, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, कम्पेल.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- ग्राम कम्पेल, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, कम्पेल, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1099, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, कम्पेल, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, आम्बाचंदन, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-प्रा. आम्बाचंदन इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, आम्बाचंदन, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1103, दिनांक 12 सितम्बर, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक..... से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, आम्बाचंदन, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, जामखुर्द, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-जामखुर्द, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, जामखुर्द, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1102, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, जामखुर्द, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-K)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, पेडमी, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम पेडमी, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, पेडमी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1101, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, पेडमी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, वसीपिपरी, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम वसीपिपरी, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, वसीपिपरी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1100, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, वसीपिपरी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, खुर्दी, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम खुर्दी, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, खुर्दी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1091, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, खुर्दी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम पिपल्दा, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित पिपल्दा, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1092, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्दा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-O)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, गोलखेड़ा, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम गोलखेड़ा, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, गोलखेड़ा, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1093, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, गोलखेड़ा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-P)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तिल्लोद खुर्द, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम तिल्लोरखुर्द, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तिल्लोर खुर्द, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1094, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तिल्लोर खुर्द, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, चिकली, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम चिकली, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, चिकली, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1095, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, चिकली, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तिल्लोर बुजुर्ग, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम तिल्लोर बुजुर्ग, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तिल्लोर बुजुर्ग, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1097, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तिल्लोर बुजुर्ग, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, काजरोह, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम काजरोह, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, काजरोह, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1098, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, काजरोह, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, काली बिल्लोद, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम काली बिल्लोद, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, काली बिल्लोद, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1096, दिनांक 09 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, काली बिल्लोद, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-U)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, भगोरा, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम भगोरा, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, भगोरा, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1104, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, भगोरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-V)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सिमरोल, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. .. . .

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सिमरोल, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1105, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सिमरोल इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, बड़गोंदा, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. .. . .

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, बड़गोंदा, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1106, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, बड़गोंदा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-X)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, जामली, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता—ग्राम जामली, इन्दौर.

प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, जामली, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1108, दिनांक.....है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, जामली, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम सोनवाय कम्वेल रोड, तहसील इन्दौर.

क्र./परि./2015/849—श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2488, दिनांक 10 फरवरी, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(292-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इन्दौर बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-22, दौलतगंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/850—इन्दौर बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/90/127, दिनांक . . . . . है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथमिक वनोपज सह. संस्था मर्या., चोरल.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम चोरल, तहसील महू, जिला इन्दौर.

क्र./परि./2015/851—प्राथमिक वनोपज सह. संस्था मर्या., चोरल, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/892, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सह. संस्था मर्या., चोरल का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-खण्डवा रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/852—प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/890, दिनांक 22 नवम्बर, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्राथमिक वनोपज सह. संस्था मर्या., मानपुर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम मानपुर, तहसील महू, जिला इन्दौर.

क्र./परि./2015/853—प्राथमिक वनोपज सह. संस्था मर्या., मानपुर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/893, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सह. संस्था मर्या., मानपुर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मारूती बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., देपालपुर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-इन्दौर रोड, देपालपुर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/854—मारूती बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., देपालपुर, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2450, दिनांक 03 जून, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मारूती बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., देपालपुर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नटराज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-33/2, छीपा बाखल, इन्दौर.

क्र./परि./2015/855—नटराज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/796, दिनांक 18 अक्टूबर, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नटराज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
महिला आदिवासी बुनकर सह. संस्था मर्या., मानपुर महू.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

क्र./परि./2015/856—महिला आदिवासी बुनकर सह. संस्था मर्या., मानपुर महू जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/839, दिनांक 10 दिसम्बर, 1983 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला आदिवासी बुनकर सह. संस्था मर्या., मानपुर महू का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293- F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
रणजीत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-100, साकेत नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/857—रणजीत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/568, दिनांक 28 अगस्त, 1980 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रणजीत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सर्वोदय बुनकर सह. संस्था मर्या., कम्पेल.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम कम्पेल, जिला इन्दौर.

क्र./परि./2015/858—सर्वोदय बुनकर सह. संस्था मर्या., कम्पेल, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/117, दिनांक 29 अगस्त, 1989 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वोदय बुनकर सह. संस्था मर्या., कम्पेल, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
आदर्श बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. सं. मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- ग्राम-हातोद, जिला-इन्दौर.

क्र./परि./2015/859—आदर्श बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. सं. मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/67/891, दिनांक 02 जून, 1989 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श बुनकर कॉटन हेण्डलूम सह. सं. मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इंदौर हस्त शिल्प सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-75/2, दौलतगंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/860—इन्दौर हस्त शिल्प सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/28, दिनांक 22 जुलाई, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर हस्त शिल्प सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जैन श्री मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 49, जुनी, कसेरा बाखल, इन्दौर.

क्र./परि./2015/861—जैन श्री मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2230, दिनांक 19 जून, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जैन श्री मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जनसेवा मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-56, शांतीनगर जैन कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/862—जनसेवा मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/643, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनसेवा मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
डॉ. अम्बेडकर हाथकरघा बुनकर सह. सं. मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-371, बजरंग नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/863—डॉ. अम्बेडकर हाथकरघा बुनकर सह. सं. मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1954, दिनांक 25 अगस्त, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डॉ. अम्बेडकर हाथकरघा बुनकर सह. सं. मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
आदित्य एग्रो बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., औरंगपुरा.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर.

क्र./परि./2015/864—आदित्य एग्रो बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., औरंगपुरा जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2497, दिनांक 25 मई, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदित्य एग्रो बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., औरंगपुरा का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-N)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
विंध्याचल बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., जामली.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-तहसील महू, इन्दौर.

क्र./परि./2015/865—विंध्याचल बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., जामली, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2499, दिनांक 20 मई, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विंध्याचल बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., जामली, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
बालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुमठा.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम सुमठा, तहसील हातोद, जिला इन्दौर.

क्र./परि./2015/866—बालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुमठा, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2552, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुमठा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
फेशन क्रिएटर इंस्टीयूट ऑफ फेशन उद्योग सह. सं. मर्या.,इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-728, उपमानगर मेन रोड, अपोजिट, दशहरा मैदान, इन्दौर.

क्र./परि./2015/867—फेशन क्रिएटर इंस्टीयूट ऑफ फेशन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2231, दिनांक 08 अगस्त, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फेशन क्रिएटर इंस्टीयूट ऑफ फेशन उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-Q)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालवा नलकूप खनन कामगार उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-100, कैलाश पार्क, इंदौर.

क्र./परि./2015/868—मालवा नलकूप खनन कामगार उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1671, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा नलकूप खनन कामगार उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-R)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
अभिनन्दन फर्नीचर फ्रेबरीकेशन, उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-1415, जवाहर मार्ग गोलाकुण्ड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/869—अभिनन्दन फर्नीचर फ्रेबरीकेशन, उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/840, दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अभिनन्दन फर्नीचर फ्रेबरीकेशन, उद्योग सह. सं. मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-S)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-64, खजूरी बाजार, इन्दौर.

क्र./परि./2015/870—लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/408, दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-T)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
अनमोल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-112 A, बंशी ट्रेड सेन्टर, 581 प्रथम मंजिल, M.G. रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/871—अनमोल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1948, दिनांक 31 मई, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनमोल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
हस्त शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-98, आजाद नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/872—हस्त शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/829, दिनांक 21 जुलाई, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हस्त शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
विश्वास महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-78-B, राजेन्द्र नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/873—विश्वास महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/709, दिनांक 17 फरवरी, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विश्वास महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-W)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
देवझिरी क्रय-विक्रय स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-165, प्रभुनगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/874—देवझिरी क्रय-विक्रय स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2333, दिनांक 15 जून, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है: जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये देवझिरी क्रय-विक्रय स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
संस्कृति हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-3/4, भवानीपुर कॉलोनी, फ्लेट नं. 20, मनी टावर अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/875—संस्कृति हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2187, दिनांक 11 नवम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संस्कृति हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दत्त भावली मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रम शिविर परिसर प्रेस, इन्दौर.

क्र./परि./2015/876—दत्त भावली मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2372, दिनांक 4 अप्रैल, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दत्त भावली मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(293-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
ज्ञानगंगा प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-बड़वानी प्लाजा, पलासिया, इन्दौर.

क्र./परि./2015/877—ज्ञानगंगा प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1810, दिनांक 28 नवम्बर, 1996 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ज्ञानगंगा प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालवा मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-40-अ, प्रेमनगर, माणिक बाग, इन्दौर.

क्र./परि./2015/878—मालवा मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/267, दिनांक 25 जून, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
भारतीय महिला प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-B-4 M.I.G., चिमनबाग चौराहा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/879—भारतीय महिला प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1965, दिनांक 4 नवम्बर, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय महिला प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
साधना मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-3/2, काछी मोहल्ला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/880—साधना मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1941, दिनांक 3 अप्रैल, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साधना मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
संतोष स्टेशनरी एवं बाईडिंग मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-1/3, रूस्तम बगीचा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/881—संतोष स्टेशनरी एवं बाईडिंग मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/371, दिनांक 15 मई, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संतोष स्टेशनरी एवं बाईडिंग मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जनपद प्रिन्टर्स मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-20/1, मल्हारगंज रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/882—जनपद प्रिन्टर्स मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/402, दिनांक 23 जुलाई, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद प्रिन्टर्स मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नेमीनाथ प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-31, छोटी ग्वालटोली, इन्दौर.

क्र./परि./2015/883—नेमीनाथ प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/862, दिनांक 28 सितम्बर, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नेमीनाथ प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294- F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
राज मंदिर मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-57, पागनीस पागा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/884—राज मंदिर मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/704, दिनांक 28 जनवरी, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज मंदिर मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-64, देवास रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/885—सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/18, दिनांक 25 सितम्बर, 1959 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
समना मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-9/5, जवाहर मार्ग, इन्दौर.

क्र./परि./2015/886—समना मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/249, दिनांक 29 फरवरी, 1964 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समना मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
राष्ट्रीय प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-40/1, आलापुरा जूनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/887—राष्ट्रीय प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1662, दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
स्वर्ण ज्वेलरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 2958, सुदामा नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/888—स्वर्ण ज्वेलरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2225, दिनांक 12 मई, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वर्ण ज्वेलरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
पंचायती राज मिर्च मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पिपल्या राव भोलाराम उस्ताद मार्ग, इन्दौर.

क्र./परि./2015/889—पंचायती राज मिर्च मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2320, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंचायती राज मिर्च मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नव युवक ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम पालेवा, नेमावर रोड, तह. व जि. इन्दौर.

क्र./परि./2015/890—नव युवक ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2321, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नव युवक ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सालासर बालाजी रफ पेपर एवं स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम सनावदिया, कम्पेल रोड, तह., जि. इन्दौर.

क्र./परि./2015/891—सालासर बालाजी रफ पेपर एवं स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2326, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सालासर बालाजी रफ पेपर एवं स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-N)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जनहित ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-पटेल सदन पालेदा नाका, नेमावर रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/892—जनहित ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2327, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालवा पैकेजिंग बॉक्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम-पालदा, तेजाजी चौक, नेमावर रोड, तह. व जि. इन्दौर.

क्र./परि./2015/893—मालवा पैकेजिंग बॉक्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2322, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा पैकेजिंग बॉक्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पापड़ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम-पालदा, तीन ईमली चौराहा, नेमावर रोड, तह. व जि. इन्दौर.

क्र./परि./2015/894—पंडित दीनदयाल उपाध्याय पापड़ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2328, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पापड़ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-Q)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री गणेश रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-30, मराठी मोहल्ला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/895—श्री गणेश रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/768, दिनांक 25 जून, 1964 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-R)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रेरणा रेडिमेट होजरी सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-30, कुमावत पुरा, जुनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/896—प्रेरणा रेडिमेट होजरी सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/821, दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रेरणा रेडिमेट होजरी सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-S)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सिद्देश्वर रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-21, लक्ष्मीपुरी कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/897—सिद्देश्वर रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/894, दिनांक 26 नवम्बर, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिद्देश्वर रेडिमेट सिलाई वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-T)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इन्दौर रेडिमेट वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-बड़वाली चौकी, मोहम्मदी बिल्डिंग, इन्दौर.

क्र./परि./2015/898—इन्दौर रेडिमेट वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/577, दिनांक 20 नवम्बर, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर रेडिमेट वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
महिला अगरबत्ती उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-चिमन बाग, इन्दौर.

क्र./परि./2015/899—महिला अगरबत्ती उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/379, दिनांक 20 मई, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला अगरबत्ती उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
शारदा श्रम ठेका उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-काँजी पलासिया, इन्दौर.

क्र./परि./2015/900—शारदा श्रम ठेका उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1139, दिनांक 11 मई, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शारदा श्रम ठेका उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने सें पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-W)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
हेल्प प्रेस उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-3, गुरू गोविंद सिंह मार्केट, इन्दौर.

क्र./परि./2015/901—हेल्प प्रेस उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2587, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हेल्प प्रेस उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सखी हस्त कला उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-79, केशर बाग अपार्टमेंट, नारायण बाग इन्दौर.

क्र./परि./2015/902—सखी हस्त कला उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1931, दिनांक ..... है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सखी हस्त कला उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-29/6, मनोरमागंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/903—गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/330, दिनांक 01 जनवरी, 1969 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(294-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सांईनाथ सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 49, मुराई मोहल्ला छावनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/904—सांईनाथ सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/822, दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सांईनाथ सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालवा रेडिमेड वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-44/6, मल्हार गंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/907—मालवा रेडिमेड वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/813, दिनांक 23 सितम्बर, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा रेडिमेड वस्त्र उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महू.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-महू,

क्र./परि./2015/908—ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महू इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/609, दिनांक 30 नवम्बर, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महू इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रगातिशील महिला मिर्च मसाला कुटीर उद्योग
सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-369, गोयल नगर, कनाड़िया, रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/909--प्रगतिशील महिला मिर्च मसाला कुटीर उद्योग सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2319, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रगतिशील महिला मिर्च मसाला कुटीर उद्योग संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इन्दौर हस्तशिल्प सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-75/2, दौलतगंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/910--इन्दौर हस्तशिल्प सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2071, दिनांक 14 फरवरी, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर हस्तशिल्प सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-D)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जीवन दायिनी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-205/6, फिरोज गांधीनगर, इन्दौर.

जीवन दायिनी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2445, दिनांक 21 अप्रैल, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जीवन दायिनी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जैमिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-218, मयूर नगर, इन्दौर.

जैमिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2395, दिनांक 18 फरवरी, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जैमिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295- F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
होल्कर स्टेट नार्मल स्कूल कृषि साख सहकारी
संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- . . . . . .

होल्कर स्टेट नार्मल स्कूल कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/419, दिनांक . . . . . है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये होल्कर स्टेट नार्मल स्कूल कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-G)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
गुडवेल्थ साख सहकारी संस्था मर्यादित.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- L. I. G. 6-4, 4 आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर.

गुडवेल्थ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2542, दिनांक 21 जून, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुडवेल्थ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
हरिजन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

हरिजन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/618, दिनांक 02 फरवरी, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
राजा वख्तावर राम नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-170, आर. एन. टी. मार्ग, झाबुआ टॉवर.

राजा वख्तावर राम नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1920, दिनांक 08 नवम्बर, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजा वख्तावर राम नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सन्मति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-435, एम. जी. रोड, इन्दौर.

सन्मति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1846, दिनांक 30 जून, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सन्मति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-K)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सैफी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-18, जवाहर मार्ग, इन्दौर.

सैफी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/295, दिनांक 23 नवम्बर, 1965 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सैफी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सर्व प्रिय बचत संगठन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-12/7, राजमोहल्ला, इन्दौर.

सर्व प्रिय बचत संगठन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/859, दिनांक 08 जुलाई, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्व प्रिय बचत संगठन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सर्वहित साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-356, पाटनीपुरा, इन्दौर.

सर्वहित साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2079, दिनांक 09 मई, 2002 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वहित साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सोनिया गाँधी अल्प संख्यक पिछड़ा वर्ग
साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-750, आजाद नगर, इन्दौर.

सोनिया गाँधी अल्प संख्यक पिछड़ा वर्ग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1908, दिनांक 07 अगस्त, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सोनिया गाँधी अल्प संख्यक पिछड़ा वर्ग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-O)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री गणेश नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-धार नाका, महू.

श्री गणेश नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./593, दिनांक 07 अक्टूबर, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सद्भावना साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-210, वृंदावन कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1032—सद्भावना साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1742, दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 है, जिसें आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सद्भावना साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
स्वर्ण जयन्ती साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-90, कुलकर्णी भट्टा, इन्दौर.

स्वर्ण जयन्ती साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1866, दिनांक 28 नवम्बर, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वर्ण जयन्ती साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
स्वामी विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-180-A, सुकल्मा, इन्दौर.

स्वामी विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1856, दिनांक 14 अगस्त, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वामी विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायठी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
न्यू लक्की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-612-A, VI फ्लोर 569-A, राजानी भवन, इन्दौर.

न्यू लक्की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2434, दिनांक 18 अगस्त, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यू लक्की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नेहरू नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-80, पाटनीपुरा, इन्दौर.

नेहरू नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./923, दिनांक 29 मई, 1990 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नेहरू नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-U)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
न्यू मोती बंगला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-न्यू मोती बंगला, इन्दौर.

न्यू मोती बंगला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./395, दिनांक 20 मई, 1972 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यू मोती बंगला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-V)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नवलखा अमराई साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-49, पंचशील नगर, इन्दौर.

नवलखा अमराई साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2404, दिनांक 10 जून, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवलखा अमराई साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नवरंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-56, जुना तुकोगंज, इन्दौर.

नवरंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2178, दिनांक 10 मई, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवरंग साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रगति शील साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-585,एम. जी. रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1040—प्रगति शील साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/403, दिनांक 13 जनवरी, 1972 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रगति शील साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
पत्रकार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-36, परदेशीपुरा, इन्दौर.

पत्रकार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1850, दिनांक 06 जून, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्रकार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
ऋषभदेव सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-29 GMM, स्किम नं. 54, अनुपनगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1051.-ऋषभदेव सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर., जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1995, दिनांक 17 अगस्त, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऋषभदेव सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इन्दौर नगर निगम मस्टर कर्म सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-13/2, जेल रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1060.-इन्दौर नगर निगम मस्टर कर्म सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर., जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1190, दिनांक 21 अक्टूबर, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर नगर निगम मस्टर कर्म सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
बजराज टेम्पो कर्म. सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- . . . . . .

क्र./परि./2015/1063—बजराज टेम्पो कर्म. सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1012, दिनांक 3 जुलाई, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बजराज टेम्पो कर्म. सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दि. राजकुमार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 7, न्यू देवास रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1066—दि. राजकुमार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./549, दिनांक 23 अगस्त, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दि. राजकुमार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
वैदिक महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 186/2, खजराना, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1067—वैदिक महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2348, दिनांक 14 जनवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैदिक महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ नर्मदा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 55, सुभाषनगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1069—माँ नर्मदा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1559, दिनांक 25 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ नर्मदा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
अर्चना महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-36/5, परदेशीपुरा, इन्दौर.

अर्चना महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./3050, दिनांक 17 जनवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अर्चना महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ शारदा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-इन्दौर.

माँ शारदा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1950, दिनांक 24 अगस्त, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ शारदा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-G)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री सिद्ध विनायक सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-10/1, राजाराम नगर, स्कीम नं. 51 के पास, इन्दौर.

श्री सिद्ध विनायक सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2543, दिनांक 3 सितम्बर, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सिद्ध विनायक सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री सांईनाथ समर्थ सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-4/5, न्यू पलासिया, इन्दौर.

श्री सांईनाथ समर्थ सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2544, दिनांक 31 अगस्त, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सांईनाथ समर्थ सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
स्वधन सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-जी/4, 93, 94, 95 प्रभुनगर, इन्दौर.

स्वधन सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2525, दिनांक 14 जून, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वधन सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
शहरी कामगार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-14 एन, साकेतनगर एम्स, इन्दौर.

शहरी कामगार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2422, दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहरी कामगार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-K)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री भैरव शक्ति सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-38, मंगल मार्ग, गांधीनगर, इन्दौर.

श्री भैरव शक्ति सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2495, दिनांक 8 मार्च, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री भैरव शक्ति सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सुलक सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-159-ए, कालानीनगर, इन्दौर.

सुलक सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2049, दिनांक 25 अगस्त, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुलक सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
साहू राठौर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-1/1, छोटी ग्वालटोली, इन्दौर.

साहू राठौर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1666, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साहू राठौर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री सांई कृपा सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-A-54 सूखलीया, इन्दौर.

श्री सांई कृपा सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1819, दिनांक 27 सितम्बर, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सांई कृपा सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-O)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
राजेन्द्रनगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-75-बी, राजेन्द्रनगर, इन्दौर.

राजेन्द्रनगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1202, दिनांक 28 मार्च, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजेन्द्रनगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-P)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालवा मिल क्षेत्र व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-50, न्यू देवास रोड, इन्दौर.

मालवा मिल क्षेत्र व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1090, दिनांक 4 सितम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा मिल क्षेत्र व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
राजस्व आयुक्त कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-आयुक्त कार्यालय, इन्दौर.

राजस्व आयुक्त कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./329, दिनांक 24 फरवरी, 1979 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्व आयुक्त कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नवकार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-2 बी, 16/1, ई सेक्टर, सुदामानगर, इन्दौर.

नवकार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2638, दिनांक 4 फरवरी, 2014 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवकार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
संजय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-93, बाराभाई मोहल्ला, इन्दौर.

संजय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./582, दिनांक 27 अप्रैल, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोज़न के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संजय साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री संत नरहरि सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-1490/11, नंदानगर, इन्दौर.

श्री संत नरहरि सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1730, दिनांक 12 जुलाई, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री संत नरहरि सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री योग माया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 1-ए, शुभम पैलेस, छोटा बांगड़दा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1121—श्री योग माया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2144, दिनांक 19 मार्च, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री योग माया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
वैभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-7, पार्क रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1122—वैभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1861, दिनांक 29 सितम्बर, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
उत्तरा पथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-2611, नार्थराज मोहल्ला, इन्दौर.

उत्तरा पथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./409, दिनांक 1 मार्च, 1973 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तरा पथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
रूस्तमजी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-रूस्तम सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1124—रूस्तमजी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2128, दिनांक 2 सितम्बर, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रूस्तमजी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तरुण साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-169, नेताजी सुभाष मार्ग, इन्दौर.

तरुण साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1907, दिनांक 9 अगस्त, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तरुण साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(296-Z)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री वैष्णव सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-54, शंकर गंज, इन्दौर.

श्री वैष्णव सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1192, दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री वैष्णव सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
वीर शहीद टेट्या मामा भील साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 1/1, श्रीराम कृष्ण बाग कॉलोनी (वेलोसीटी टॉकीज के पीछे), इन्दौर.

क्र./परि./2015/1127—वीर शहीद टेट्या मामा भील साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2563, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वीर शहीद टेट्या मामा भील साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इन्दौर नायर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-एफ 92/2, लवकुश विहार, सुखलिया, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1128—इन्दौर नायर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1853, दिनांक 31 जुलाई, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर नायर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
शहीद चन्द्रशेखर आजाद सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- काव्यकुंज धर्मशाला, राजमोहल्ला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1130—शहीद चन्द्रशेखर आजाद सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1772, दिनांक 26 मार्च, 1996 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहीद चन्द्रशेखर आजाद सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
आधार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-118 D, संगमनगर, स्कीम नं. 51, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1131—आधार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2519, दिनांक 2 फरवरी, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आधार सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
महानगर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 136/3, नंदानगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1132—महानगर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2013, दिनांक 12 दिसम्बर, ... है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महानगर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
पार्श्वनाथ सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-16, महारानी रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1133—पार्श्वनाथ सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1163, दिनांक 23 मार्च, 1993 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पार्श्वनाथ सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-F)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ उमिया महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 84/4, वल्लभ नगर, इन्दौर.

माँ उमिया महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2041, दिनांक 15 मई, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ उमिया महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
नागेश्वर एम.ई.एस. सहकारी साख संस्था मर्यादित, महू, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-माल रोड, महू, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1135—नागेश्वर एम.ई.एस. सहकारी साख संस्था मर्यादित, महू, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./508, दिनांक 3 मई, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नागेश्वर एम.ई.एस. सहकारी साख संस्था मर्यादित, महू, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी समाज सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 49, माँ अहील्यानगर, काली बावडी, श्किरिया बादशाह, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1136—सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी समाज सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2527, दिनांक 15 जून, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी समाज सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-I)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माता वैष्णो देवी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-851/9, नेहरूनगर, इन्दौर.

माता वैष्णो देवी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1398, दिनांक 1 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माता वैष्णो देवी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-J)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जोगेश्वरी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-255, रूपरायनगर, इन्दौर.

जोगेश्वरी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1526, दिनांक 7 जुलाई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जोगेश्वरी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जागृति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-289, रूस्तम का बगीचा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1139—जागृति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1442, दिनांक 4 जून, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जागृति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-L)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जागृति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-50, न्यू देवास रोड, इन्दौर.

जागृति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1385, दिनांक 27 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जागृति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-M)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रगति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-136, देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर.

प्रगति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1243, दिनांक 20 मई, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रगति महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
शुभ लक्ष्मी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-6/2, कृष्णपूरा, इन्दौर.

शुभ लक्ष्मी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1299, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शुभ लक्ष्मी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-O)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इंदिरा महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-73, पीरगली, इन्दौर.

इंदिरा महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1255, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-P)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ पावागढ महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-19, मालगंज, इन्दौर.

माँ पावागढ महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1375, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ पावागढ महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-Q)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-16, बी, चंदननगर, मेनरोड, इन्दौर.

श्री महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1397, दिनांक 4 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-R)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
साहील यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-220, आदर्शनगर, इन्दौर.

साहील यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./556, दिनांक 3 फरवरी, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साहील यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-S)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रियदर्शनीय परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-9/2, प्रदीप अपार्टमेंट, पलसीकर चौराहा, इन्दौर.

प्रियदर्शनीय परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./603, दिनांक 21 मार्च, 1996 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रियदर्शनीय परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-T)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालव माल परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- . . . . . .

मालव माल परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./75, दिनांक 16 दिसम्बर, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालव माल परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-U)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
बाबा अमरनाथ को-ऑप. सोसा. लि., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

बाबा अमरनाथ को-ऑप. सोसा. लि., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./. . ., दिनांक . . . . . है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बाबा अमरनाथ को-ऑप. सोसा. लि., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-V)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट को-ऑप. सोसा., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-1/3, रूस्तम का बगीचा, इन्दौर.

रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट को-ऑप. सोसा., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./541, दिनांक 26 मई, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट को-ऑप. सोसा., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-W)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ संध्या यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-11/2, छोटी ग्वालटोली, इन्दौर.

माँ संध्या यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./543, दिनांक 18 जुलाई, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ संध्या यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-X)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्रेष्ठ कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-18, गोछा कॉलोनी, इन्दौर.

श्रेष्ठ कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./544, दिनांक 29 फरवरी, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रेष्ठ कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-50, राज मोहल्ला, इन्दौर.

हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./545, दिनांक 6 अगस्त, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(297-Z)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
ईश्वरीय यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

ईश्वरीय यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./19, दिनांक 15 अप्रैल, 1960 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ईश्वरीय यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
भावना यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-318, बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर.

भावना यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./553, दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भावना यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-A)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सांईनाथ परिवहन को-ऑप. सोसा. लि., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-9/2, प्रदीप अपार्ट, पलसीकर चौराहा, इन्दौर.

सांईनाथ परिवहन को-ऑप. सोसा. लि., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1716, दिनांक 1 मार्च, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सांईनाथ परिवहन को-ऑप. सोसा. लि., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-B)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जवाहर यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

जवाहर यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./8, दिनांक 19 नवम्बर, 1950 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जवाहर यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-C)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-62, रावजी बाजार, मेनरोड, इन्दौर.

माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./546, दिनांक 5 अक्टूबर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-D)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-खुडेल बुजुर्ग, इन्दौर.

दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./591, दिनांक 20 मई, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-E)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
विकास यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-138/3, नेहरू नगर, इन्दौर.

विकास यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./559, दिनांक 3 फरवरी, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विकास यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-58, न्यू देवास, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1163—माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./558, दिनांक 3 फरवरी, 1974 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ वैष्णो देवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-39, हुजुरगंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1169—माँ वैष्णो देवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1441, दिनांक 4 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ वैष्णो देवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-H)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दिपिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-13, श्रीराम मार्केट, एरोड्रम रोड, इन्दौर.

दिपिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1514, दिनांक 16 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिपिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जय श्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-154/1, नन्दन नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1171—जय श्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1694, दिनांक 22 जनवरी, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय श्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री महाकाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-128/2, बड़ा गणपती, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1172—श्री महाकाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1260, दिनांक 20 मई, 2014 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री महाकाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दिव्यांश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 36, ओल्ड राज मोहल्ला, ज्ञान बाजार, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1173—दिव्यांश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1414, दिनांक 3 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिव्यांश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जन सेवा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-7/1, गेस्ट हाउस, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1174—जन सेवा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1491, दिनांक 13 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जन सेवा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
निर्माण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 91, जगजीवन राम नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1175—निर्माण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2151, दिनांक 7 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्माण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-N)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
न्यू मालवा हैण्डलूम सहकारी संस्था मर्यादित, अलवासा.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

न्यू मालवा हैण्डलूम सहकारी संस्था मर्यादित, अलवासा, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./869, दिनांक 6 फरवरी, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यू मालवा हैण्डलूम सहकारी संस्था मर्यादित, अलवासा का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
यादव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- . . . . . .

क्र./परि./2015/1176—यादव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1295, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यादव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
निमिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-31, पिपलया धाना, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1178—निमिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1335, दिनांक 27 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निमिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-Q)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 170, बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1179—प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1359, दिनांक 27 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओं सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-R)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-207, पिपलया धाना, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1180—माया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1557, दिनांक 25 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-S)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जय करोली माँ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 8/3, मनोरमा गंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1181—जय करोली माँ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1594, दिनांक 19 जुलाई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय करोली माँ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-T)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
देवी इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-E 118, L.I.G., इन्दौर.

क्र./परि./2015/1182—देवी इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1278, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये देवी इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
लीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-43, तिलक नगर, एक्सटेन्शन, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1183—लीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1627, दिनांक 10 अगस्त, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-33/35, मुराई मोहल्ला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1184—एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1454, दिनांक 7 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-W)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
गरीमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-145, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1185—गरीमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1591, दिनांक 15 जुलाई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गरीमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
चन्द्रकान्ता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 33/12, मुराई मोहल्ला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1186—चन्द्रकान्ता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1309, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चन्द्रकान्ता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
शीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-33/3, मुराई मोहल्ला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1187—शीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1517, दिनांक 16 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पँजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(298-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-68, नरसीह बाजार, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1188—अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1455, दिनांक 7 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-355, समाजवाद नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1189—लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1495, दिनांक 14 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
सेवक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता- 114, लाबरीया भेरू, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1190—सेवक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1623, दिनांक 10 अगस्त, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सेवक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
पल्लवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-48, समाजवाद नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1191—पल्लवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1653, दिनांक 3 जुलाई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पल्लवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-110, बालदा कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1192—इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1271, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-2/2, रघुवंशी मार्केट, धार रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1193—माला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1346, दिनांक 27 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-24, मोती तबेला, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1194—आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1416, दिनांक 3 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
रोहित महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-25, लूविया पुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1195—रोहित महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1323, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रोहित महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माधव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-59-सी, सेक्टर डी, स्किम नं. 71, वार्ड 52, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1196—माधव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2360, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माधव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जय विजय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-297, गणेश चौक, आजाद नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1197—जय विजय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1314, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय विजय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
शिव महिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-496, समाजवादी इंदिरानगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1198—शिव महिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1319, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिव महिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
संकट मोचन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-24/2, मुसाखेडी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1199—संकट मोचन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1320, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संकट मोचन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
छाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-624, आजाद नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1200—छाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1357, दिनांक 27 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
अनुपम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-24, आजाद नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1201—अनुपम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1502, दिनांक 15 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुपम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
तरूण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-15, साजन नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1202—तरूण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1311, दिनांक 26 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तरूण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-N)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
लक्ष्मी बाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-297, लोकमान्य नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1203—लक्ष्मी बाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2354, दिनांक 4 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी बाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-987, खातीवाला टैंक, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1204—प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1483, दिनांक 10 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
श्री शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-7, गणेश नगर, खंडवा नाका, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1205—श्री शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1685, दिनांक .....है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-Q)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
वीणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-रूपराम नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1206—वीणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1493, दिनांक 13 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वीणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-R)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-10, गोडबोले कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1207—माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1221, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-S)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जय माँ काली साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-14, सुखदेव नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1218—जय माँ काली साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2517, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ काली साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-T)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मातृ छाया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-9/1, क्लर्क कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1219—मातृ छाया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2471, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मातृ छाया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-91, बाण गंगा मेन रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1220—मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2376, दिनांक 5 जून, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रखर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-लालजी की बस्ती महू, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1221—प्रखर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2465, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रखर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-W)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-ग्राम श्रीराम तलावली, तह. इन्दौर, जि. इन्दौर.

क्र./परि./2015/1271—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2191, दिनांक 25 नवम्बर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
प्रगतिशील महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-184, श्री नगर, इन्दौर.

प्रगतिशील महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1381, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रगतिशील महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-Y)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
मालवा नगर चौक एवं कशीदा हस्त शिल्प उद्योग सह. स. मर्या., इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-. . . . . .

मालवा नगर चौक एवं कशीदा हस्त शिल्प उद्योग सह. स. मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./23, दिनांक 23 अगस्त, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा नगर चौक एवं कशीदा हस्त शिल्प उद्योग सह. स. मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(299-Z)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
जय बजरंग महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-149/3, नेहरू नगर, इन्दौर.

जय बजरंग महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1374, दिनांक 27 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय बजरंग महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(300)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,
अग्रसेन महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)
पता-12, सुभाष मार्ग, इन्दौर.

अग्रसेन महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1247, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अग्रसेन महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

राजेश कुमार क्षत्री,
उप-आयुक्त सहकारिता.

(300-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2015 ज्येष्ठ 15, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के पन्ना, सागर, सतना, सीधी, रायसेन, बैतूल व जबलपुर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पवई, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बण्डा, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा (सतना), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन) बैतूल (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुन्डम (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बीना, रहली, शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, उमरिया, खरगौन व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. . .				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मक्सूदन	. .				
7. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	3.0				
5. शाहनगर	2.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	21.4		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	10.4		(2) . .		
3. बण्डा	10.8				
4. सागर	12.8				
5. रेहली	18.8				
6. देवरी	6.0				
7. गढ़ाकोटा	11.2				
8. राहतगढ़	10.2				
9. केसली	15.0				
10. मालथोन	6.4				
11. शाहगढ़	25.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	2.4		4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	5.0				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, जौ, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	12.8		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	7.0				
3. मानपुर	6.0		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	7.4		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	9.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	3.0				
4. कुसमी	2.0				
5. चुरहट	3.5				
6. रामपुरनैकिन	1.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) राई-सरसों, चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ चना, रायड़ा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का अधिक. चना, कपास कम. गेहूं, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) गेहूं, चना कम. कपास, तुअर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्ठीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर , गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान कम. सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. . .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	4.0				
6. सिलवानी	3.4				
7. बाड़ी	4.5				
8. उदयपुरा	7.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	3.3				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसूर कम. गेहूँ समान.		
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	15.6		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	10.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	8.1				
4. मझौली	15.3				
5. कुण्डमपुर	7.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. . .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन,चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .				
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, तुअर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .				
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सौंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों- कुटकी, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, शहडोल, रतलाम, देवास, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(301)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.